



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 470]
No. 470]नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2006/आश्विन 11, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2006/ASVINA 11, 1928पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन-स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2006

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2006

सा.का.नि. 615(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके तथा भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग के पत्तन-स्कंध की दिनांक 14-07-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ), के साथ पठित दिनांक 02-05-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 266(अ), दिनांक 23-05-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ), दिनांक 07-06-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ), दिनांक 20-06-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 371(अ) और दिनांक 30-06-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 391(अ) के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, नीचे दर्शाई जा रही तालिका में क्रम सं. 14 के बाद निम्नलिखित को एतद्द्वारा, कांडला-पत्तन के न्यासी-बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

15 सीमा-शुल्क आयुक्त, कांडला	सीमा-शुल्क विभाग के प्रतिनिधि
---------------------------------	----------------------------------

[फा. सं. पी टी-18011/8/2005-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

G.S.R. 615(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-sections (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, (Ports Wing), No. G.S.R. 266(E), dated 02-05-2006, No. G.S.R. 306(E), dated 23-05-2006, No. G.S.R. 350(E), dated 07-06-2006, No. G.S.R. 371(E), dated 20-06-2006, No. G.S.R. 391(E), dated 30-06-2006, read with No. G.S.R. 424 (E), dated 14-07-2006, the Central Government hereby appoints the following as trustee after serial number 14 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

TABLE

15. Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
--	--

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.